संख्या–959 / पॉच–5 / 2020

प्रेषक,

प्रांजल यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा, फिरोजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्धनगर, बुलन्दशहर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, शामली, बस्ती, औरैया, सम्भल एवं सीतापुर।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ:: दिनांकः 25 अप्रैल, 2020

विषयः कोविड–19 के प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु चेक लिस्ट का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 से अत्याधिक प्रभावित प्रदेश के 18 जनपदों में प्रभावी नियंत्रण एवं की जा रही कार्यवाही के पर्यवेक्षण हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए एक पुलिस अधिकारी एवं एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को उनके साथ सम्बद्ध किया गया है। पर्यवेक्षण हेतु शासन द्वारा तैयार की गयी चेक लिस्ट संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया चेक लिस्ट अपने जनपद के प्रशासनिक अधिकारी को उपलब्ध कराकर उनसे अनुरोध कर ले कि वे चेक लिस्ट के आधार पर पर्यवेक्षण की सूचना प्रतिदिन सायं 05:00 बजे ई–मेल आई0डी0– amdupnuhm@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–चेक लिस्ट 03 पृष्ठ में।

भवदीय,

(प्रांजल यादव)
विशेष सचिव।

Pankaj/GO/COME-3

चेक–लिस्ट

1. लॉकडाउन की सामान्य स्थिति–सब्जी मण्डी, गल्ला मण्डी, घनी आबादी के इलाके का निरीक्षण अवश्य करें एवं इस पर अपनी टिप्पणी दें।
2. a)जनपद के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एल–1, एल–1 समकक्ष एवं एल–2 चिकित्सा इकाईयों की स्थिति, चिकित्सालयों में सुरक्षा उपकरण, पी.पी.ई. किट, ट्रिपल लेयर मास्क, एन–95 मास्क, ऑक्सीजन, वेण्टीलेटर्स (एल–2) एवं अन्य उपकरणों की स्थिति, दवाओं की उपलब्धता की स्थिति, चिकित्सालयों में साफ–सफाई, मरीजों के भोजन इत्यादि की व्यवस्था पर टिप्पणी।

   b)जनपद के चिकित्सा शिक्षा विभाग के एल–2 एवं एल–3 चिकित्सा इकाईयों की स्थिति, चिकित्सालयों में सुरक्षा उपकरण, पी.पी.ई. किट, ट्रिपललेयर मास्क, एन–95 मास्क, ऑक्सीजन, वेण्टीलेटर्स एवं अन्य उपकरणों की स्थिति, दवाओं की उपलब्धता की स्थिति, चिकित्सालयों में साफ–सफाई, मरीजों के भोजन इत्यादि की व्यवस्था पर टिप्पणी।

   c)आक्सीजन सिलेण्डर की रिफिलिंग की स्थिति क्या है एवं आक्सीजन रिफिलिंग के लिए क्या कोई विशेष योजना बनायी गई है।
3. जनपदों में सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण की स्थिति। कितने चिकित्सकों का प्रशिक्षण हो गया है एवं कितना अवशेष हैं।
4. a)क्या जनपद में Asymtomatic मरीजों के भविष्य में आकस्मिक बढ़ोत्तरी हेतु पूर्ण योजना तैयारी कर ली गई है जैसे कि किसी इन्जीनियरिंग कालेज का हॉस्टल, किसी राजकीय पॉलीटेक्निक का हॉस्टल, किसी बड़े स्कूल की डारमेट्री इत्यादि एवं इसमें आवश्यकतानुसार मानव संसाधन की उपलब्धता की स्थिति पर टिप्पणी।

   b)क्या आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद में किसी बड़े निजी चिकित्सालयों को Dedicated Covid हास्पिटल बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है ?
5. a)चिकित्सकों, पैरामेडिकल तथा गैर पैरामेडिक स्टॉफ हेतु स्थापित Active Quarantine चिकित्सा इकाईयों में उनके रहने, भोजन, लॉण्ड्री, साफ–सफाई

इत्यादि पर टिप्पणी। इस सम्बन्ध में Active Quarantine के टीम लीडर से सम्पर्क किया जा सकता है।

b) चिकित्सकों, पैरामेडिकल तथा गैर पैरामेडिकल स्टॉफ हेतु स्थापित Passive Quarantine चिकित्सा इकाईयों में उनके रहने, भोजन, लॉण्ड्री, साफ–सफाई इत्यादि पर टिप्पणी। इस सम्बन्ध में Passive Quarantine के टीम लीडर से सम्पर्क किया जा सकता है।

6. Facility Quarantine में साफ–सफाई की व्यवस्थाएं। क्या निगेटिव रिपोर्ट आने वाले मरीजों को, जिनकी रिपोर्ट आनी शेष है, उनसे अलग रखा जा रहा है अथवा नहीं ? खाने–पीने सम्बन्धी व्यवस्था आदि पर टिप्पणी।
7. क्रियाशील एल–1, एल–2 के लिए टीम–2 के पश्चात् क्या टीम–3 गठित कर ली गई है अथवा टीम–3 मण्डल के किसी अन्य जनपद से आयेगी।
8. सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों द्वारा डायलिसिस, प्रेगनेंसी, एक्सीडेंटल केस, हार्ट सम्बन्धी इमरजेन्सी सेवाओं को प्रदान किये जाने की व्यवस्था पर टिप्पणी।
9. चिकित्सालयों में Infection Prevention के सम्बन्ध में जागरूकता एवं इसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए कुछ अस्पतालों में जा कर उक्त का निरीक्षण भी किया जा सकता है।

10. अन्य बिन्दु–

सर्विलांस हेतु कितनी टीमें लगी हैं? इसके लिए कोई विशेष रणनीति बनायी गई है। क्या सर्विलांस के आधार पर संदिग्धों को सूची बद्ध किया जा रहा है। सर्विलांस टीम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई कार्यवाहियों की स्थिति से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

11. क्या "आरोग्य सेतु ऐप" से इण्डीकेट किये जा रहे संदिग्धों पर सर्विलांस के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं।

12. क्या Contact tracing के पश्चात् चिन्हित संदिग्धों का डाटा पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है अथवा नहीं। संदिग्धों पर विशेष नजर रखने हेतु क्या कोई रणनीति बनायी गई है।

13. <u>Testing:</u> क्या हॉट–स्पॉट से चिन्हित किये गये सभी संदिग्धों की 24 घण्टे के अन्दर Sampling की जा रही है अथवा नहीं ।

14. <u>Sampling</u> की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जा रही है अथवा नहीं। पोर्टल में सर्विलांस सम्बन्धी आंकड़ों को अपडेट करने हेतु मानवसंसाधनों की व्यवस्था है अथवा नहीं।

15. जिन जनपदों में Testing Lab स्थापित है वहाँ पर लम्बित सैम्पल की स्थिति। क्या मानव संसाधन अथवा मशीनों की संख्या में वृद्धि कर प्रतिदिन होने वाले Testing संख्या को बढ़ाया जाना संभव है, यदि हाँ तो बढ़ाये जाने वाले मानव संसाधनों की संख्या एवं मशीन की संख्या तथा उनके नाम के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी।

16. अन्य जिलों से जो माइग्रेंटस वर्कर आए हैं उन्हें समुचित तरीके से शेल्टर होम में रखा गया है अथवा नहीं ? इसी प्रकार जो माइग्रेंट्स वर्कर 14 दिनों के बाद अपने घरों के लिए रवाना किए जा चुके हैं उन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है अथवा नहीं ?

17. सड़कों खेतों या रेलवे ट्रैक के माध्यम से आ रहे किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रथम जिले के अंदर स्थापित शेल्टर होम में 14 दिन के लिए रखा जाना अनिवार्य है।

18- स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया को भी राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराना चाहिए।